

संपादकीय

ਚੁਨੌਤੀ ਮਈ ਰਾਹ

यह हकीकत है कि पंजाब पर बढ़ते कर्ज के बोझ की बीच पेश वार्षिक बजट में राज्य सरकार ने लोकतुमावन धोषणाएं करने से परहेज किया है। इसके बावजूद राज्य सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं का खुलासा किया है। पंजाब की आप सरकार के तित मत्री हरपाल रीमा ने सुनुन बनाने का प्रयास करते हुए राज्य के 2024-25 के बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार का ध्यान केंद्रित किया है। बजट का कुल परिवर्त्य दो करोड़ से अधिक हो गया है। हालांकि, आम चुनाव के तरफ बढ़ते देश में नये कर लगाने से परहेज किया गया है। लेकिन राज्य की खस्ता आर्थिक स्थिति के बीच आप सरकार अपने चुनावी वादे के अनुसार 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को प्रति माह एक हजार रुपये की राशि देने के मुद्दे पर नियन्यक पहल नहीं कर पायी। इस बाबत फैसले का पंजाब की महिलाएं बेसिनी से इंतजार कर रही थीं। हाल ही में हिमायत की सुरक्षा सरकार ने अपने राज्य में महिलाओं से किये गए ऐसे वादे के क्रियान्वयन की धोषणा कर दी है। पंजाब में यह उम्रदी दिसलाई थी बढ़ गई थी क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में आप की ही सरकार ने ऐसी धोषणा को अपने बजट में शामिल किया है। उम्रदी की की पंजाब में भी ऐसी ही पहल होगी। बहुव्यापी, पंजाब की आप सरकार की इस बात के लिये सराहना की जानी चाहिए कि उसने राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल के लिये पर्याप्त बजट का प्रावधान किया है। रक्तल ऑफ एमिनेस, रक्तल ऑफ ब्रिलिएंस तथा रक्तल ऑफ हैपीनेस की स्थापना की धोषणा निश्चित ही एक सराहनीय पहल है। इसी तरह मिशन समरथ, विकिता शिक्षा में निवेश और राज्य के विश्वविद्यालयों का अनुबन्ध की धोषणा निश्चित रूप से अकादमिक उत्कृष्टता के पोषण के लिये एक समग्र द्रुतिकांक की परिचय है। इसी तरह आम आदमी तलीमीकी की स्थापना और स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे में निवेश से ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य जरूरतों पो कारने में मदद मिलेंगी वहीं दूसरी ओर कृषि प्रधानाना के लिये पहलान बनाने वाले पंजाब में किसानों से जुड़े मुद्दों को भी संबोधित किया गया है। इसमें ग्लोबल वार्मिंग के संकट के बीच फसल विविधीकरण और भूजल के लगातार बढ़ते संकट से जुड़े मुद्दों को भी आप सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। निसरदेह, यह पहल राज्य में सतत विकास की दिशा में सार्थक प्रयास की जाएगी। वहीं दूसरी ओर सरकार ने कभी खेतों का सराहना रहे पंजाब में खेतों का ग्रोसासानी की दिशा में भी कठम बढ़ाव है। इसकी कड़ी में खेल नरसी और खेल विश्वविद्यालयों के लिये वित्तीय पोषण जैसी पहल की दिशा में निवेशीय कदम है। लेकिन इसके बावजूद राज्य पर लगातार बढ़ता कर्ज संकट सरकार की गंभीर चिता का विषय होना चाहिए। यहां उल्लेखनीय है कि मार्च, 2022 में राज्य पर जो कर्ज 2.73 लाख करोड़ रुपये था, वह जनवरी, 2024 में बढ़कर 3.33 लाख करोड़ रुपये तक जा पहुंचा है। राज्य में राजकीयीय घाटों को लेकर चिंता बनी हुई है। केंद्रीय बैंक अरबीआई की एक रिपोर्ट बताती है कि पंजाब का क्रौंक से जीवीपी का अनुपत्ति 47.6 फारसी है। जो राज्यों में दूसरा सबसे बड़ा अनुपत्ति है। यहीं बजह है कि राज्य सरकार को अपने खर्चों पूरे करने के लिये नये ऋणों की व्यवस्था करनी पड़ रही है। दरअसल, वैतन, पैशां, ऋण, भवगतान तथा बिजली सबसिली जैसी प्रतिवर्द्ध देवदारियां राज्य की राजस्व प्रसिद्धियों को काफ़ी हृद तक प्रभावित कर रही हैं।

नजीर का फैसला

देश की शीर्ष अदालत ने एक बार फिर सावित किया कि वह सही मायनों में देश में स्वच्छ और पारदर्शी लोकतंत्र की खुवाली करने वाली संस्था है। जब शीर्ष अदालत ने महसूस किया कि उसके पहले दिए गए फैसले की विसंगति से लोकतंत्र को हानि हो सकती है तो पहले दिये फैसले को भी पलट दिया। जनतंत्र की परिभाषा को अमली-जामा पहनाने हुए शीर्ष अदालत ने तय कर दिया कि आम आदमी की तरह ही सासदों विधायिकों को रिश्तत के मामले में छूट के लिये कोई विशेषाधिकार काम नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट की सात जजों वाली बैठक ने एक मामले में निर्णय सुनाया कि देश की संसद अथवा विधानमंडल में भाषण या घोट के लिये रिश्तत लेने के मामले में सांसदों और विधायिकों को विशेषाधिकार के अंतर्गत इम्प्युनिटी नहीं दी जाय सकती। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि यदि किसी प्रकरण में कोई सांसद अथवा विधायक घूस लेकर किसी मामले में घोट या सदन में लक्षित भाषण देते हैं तो उन पर अदालत में आपराधिक मामला चलाया जा सकता है। कोर्ट ने माना कि संविधान के तहत मिला विशेषाधिकार सदन को सामृद्धिक रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। ताकि जनप्रतिनिधि जनहित में बैंधौफ होकर अपनी बात कह सके और निर्णय ले सकें। इस बाबत अदालत ने माना कि रिश्तत व भ्रातावार लोकतंत्र को बुन की तरह खोखला कर देते हैं। दरअसल, ऐसे मामलों में वर्ष 1998 में आए एक फैसले को जनप्रतिनिधि ढाल बनाते रहे हैं। उल्लेखनीय है कि तब पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंहा राव सरकार बचाने के मामले में सांसदों की खरीद-फरोख के आरोप लगे थे। मामला शीर्ष अदालत पहुंचा था। तब अदालत ने जो फैसला दिया था वह ऐसे प्रकरणों को लेकर फैसले में विसंगति पैदा करने वाला था। उस समय पांच जजों की पीट ने तीन-दो के बहुमत से रिश्तत लेकर घोट देने वाले सांसदों विधायिकों को विशेषाधिकारी के तहत सुरक्षित बताया था। उल्लेखनीय है कि तब पीवी नरसिंहा राव दरवेश सभारत गणराज्य मामले में शीर्ष अदालत की बैठक ने माना था कि संसद व विधानमंडल में रिश्तत लेकर घोट देने वाले भाषण देने के मामले में जनप्रतिनिधियों पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। दूसरे शब्दों में कहते ही तो सदन में किए गए किसी कार्य के लिये ये कठपरे में खड़े नहीं करे जा सकते। निश्चित रूप से इससे लोकतंत्र की शुचित व पारदर्शिता के लिए विसंगति उत्तरदाहुई थी। सोमवार को दिए फैसले के बाबत मुख्य न्यायाधीश का मानना था कि हम नरसिंहा राव फैसले से सहमत नहीं हैं। साथ ही उस फैसले को निरस्त करते हैं जिसमें घूस लेने के मामले में जनप्रतिनिधि बचाव के लिये अपने विशेषाधिकार को कवच बनाए। पहले का फैसला संविधान के कुछ अनुच्छेदों का अवहेलना भी करता है।

(लेखक- सनत जैन)
 कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गोपालाध्याय द्वारा भारतीय जनता पार्टी की दस्तखत लेने और चुनाव लड़ने की घोषणा की गयी। उनके बाद न्यायालिकाएँ की निष्पक्षता को कर एक बार बात करने सारे देश में बहल शुरू हो गयी है। उनका इस्टरीफा मंजूर ही नहीं हुआ था।
 उनके पहले ही उन्होंने कह दिया, कि वह भाजपा संपर्क में थे। वह लोकसभा का चुनाव लड़ना है। पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट के न्यायाधीशी रूप में उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार और उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं के खिलाफ खुलकर लोकायत की। पिछले दो वर्षों में उन्होंने जो सले दिए उसमें से लगभग 14 फैसला पश्चिमाल रखा है, उनके बारे में उनके राय दिए गए फैसले एक जानकैरिक पार्टी के पक्ष गये। न्यायाधीश के पद पर रहते हाँ उन्होंने मीडिया कोर्ट नहीं संबंधित बंगाल उनका चुनाव निष्पक्ष है। सुनिमान मुख्यमंत्री शरद पूर्व न अब्दुल रजन उन्हें रखा दिए गए फैसले एक जानकैरिक पार्टी के पक्ष गये। न्यायाधीश के पद पर रहते हाँ उन्होंने

मीडिया में टीएमसी सरकार की आलोचना की हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहते हुए उन्होंने सुधीर कोर्ट को भी नोटिस जारी करने में काइ कॉटाहिं नहीं बरती। इससे खप्त है, कि उनके के ब्र सरकार से जुड़े हुए ताक बहुत मजबूत थे। प्रश्न बंगाल हाई कोर्ट में जज रहते हुए उनके फैसले उनका व्यापक अवही से लोकसभा का चुनाव लड़ने की घोषणा से, न्यायालिका की निष्पक्षता को लेकर बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हो रही है। सुधीर कोर्ट के जिन पांच जजों ने राम मदिन निर्माण का फैसला सुनाया था। उन जजों में पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगाई, पूर्व सीजे आइ शरद अरविंद बोडे, वर्तमान रीजे डीवाई चंद्रघटन, पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण और न्यायालिक एस अद्वित नीराज शामिल थे। पूर्व मुख्य न्यायालिक रंजन गोगाई वर्तमान में राजसभा के सदस्य हैं उन्हें भजप ने मनोनीत किया। डीवाई चंद्रघटन

वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर को राज्यपाल बनाया गया है। राम मदिर निर्माण का फैसला देने वाले सभी जें सेवा निवृत्ति के बाद सरकार द्वारा तुरंत उपकृत किए गए हैं। अभी तक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जें वर्षों वाले राजनीतिक निधि और उनके फैसलों को लेकर दबे छपे प्रतिक्रिया आती रही है। जिस तरह अधिजित गणपत्याय ने समय पूर्व सेवा निवृत्ति लेकर भाजपा से लोकसभा का बुनाई तरने वाले निर्णय लिया। पिछले दो वर्षों में उन्होंने जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ लड़ाने के फैसला ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ हुए हैं वह विवाद में आ गये हैं। क्या हाईकोर्ट असुप्रीम कोर्ट से निष्पक्ष न्याय मिलना संभव नहीं है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि कांगड़ा कोई व्यक्ति निष्पक्ष नहीं होता है। न्यायाधीश कर्मी ना कर्मी किसी विवादधारा या आस्था

बंधा हुआ होता है। इसके बाद भी गुण दोष आधार पर न्यायपालिका नियमों को ध्यान रखते हुए निर्णय करती है। हाईकोर्ट 3 सुप्रीमकोर्ट के प्रति लोगों की आस्था बनी थी। अब जिस तरह के निर्णय न्यायपालिका केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जहां भाव की सरकारें हैं। अथवा जिन राज्यों में विवरणों की सरकारें हैं। वहाँ की हाईकोर्ट से भाव के पक्ष में जो फैसले आ रहे हैं उसके बाद न्यायपालिका की साख को लेकर सारे देश असमजंस का माहौल बनने लगा है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किस तरह का फैसला दिया जाता है। न्यायपालिका के ऊपर सरकारी भाय, दबाव और विचारधारा को लेकर तरह की बातें हो रही हैं। हाईकोर्ट द्वायस कोर्ट के न्यायाधीश मरखर होकर ड्रायस

बैटकर जिस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, अधूरे फैलाए दे रहे हैं। जमानत के मामले महीनों और वर्षों तक पेंडिंग रखे जा रहे हैं उससे न्यायपालिका की साख आम जनता वें में खम्भ होती जा रही है। न्यायाधीशों राजनीति के मैदान में उतरना, सेवा निवृत्ति तुरंत बाद या समय पर इस्तीफा देकर शर्म में आना न्यायपालिका की विश्वसनीयता को कर रहा है। गणगोपन्याय का यह कहना उसके भाजपा नेताओं के साथ पहले से ही रख बने हुए थे। इससे बड़ी अनैतिकता और वर्ष सकती है। कार्यपालिका और विधिधिका किए गए कार्यों के बारे में न्यायपालिका द्वारा सही या गलत का निर्णय किया जाता है। 2010 फीसदी मुकदमे में सरकार संवैधित होने प्रभावित व्यक्ति न्यायालयों से न्याय मिलने आशा रखती थी। हाईकोर्ट और सपीम को

न्यायाधीश यदि सरकार के दबाव में आकर या सरकार से प्रभावित होकर फैसला करने लगेंगे। तो सविधान और लोकतंत्र को सुरक्षित रख पाना संभव नहीं होगा। वर्तमान में जार एजेंसियाँ और सरकारी विभाग मनमानी कर रहे हैं। लोगों को महीनों और वर्षों तक जेलों में बंद करके रखा जा रहा है। सरकार की आलोचना करने पर नागरिकों को देशद्रोह के आरपण में वर्तमान जेलों में बंद रखा जा रहा है। न्यायालिका का सिद्धांत है, जेल अपवाह है, जमानत नागरिक का अधिकार है। यदि यह अधिकार खुद न्यायालिका छीन रही है। ऐसी स्थिति में अब न्यायालिका और नागरिक के भाया का भगवान ही मालिक है। जब-जब इस तरीके की स्थितियाँ पेदा होती हैं। उसके बाद जनता बढ़ती है। लोग कानून को अपने हाथ में लेने लगते हैं। सरकार और जनना के बीच में विरोध बढ़ता है।

साफ पानी क्यों नहीं बनता चुनावी मुद्दा

विश्वनाथ सचदेव

कई साल पुरानी बात है। विदेश यात्रा के दौरान न्यूयार्क के एक बड़े होटल में जब मैं अपने कमरे में गया तो देखा पीने का पानी नहीं था। मैंने संवेदित कर्मचारी से फोन पर बात की। उसने बताया कि पानी की बोतल तो वह भेज देंगे पर वह बाथरूम का पानी ही पीने के लिए काम आता है। सब वहाँ पानी पीते हैं। पूरी तरह सुरक्षित है वह पानी पीने के लिए। जब उसने यह बात कहीं थी। और तभी उसकी आवाज में एक गर्व की अनुभूति खनक ही थी। और यह घटना मुझे तब अचानक काया गई। जब मैं सुखव का अखबार पढ़ रहा था। अखबार के भीतरी पांचों में एक खबर थी कि देश में पीने के पानी के बारे में। इस खबर के अनुसार देश के 485 नगरों में से सिर्फ 46 में ही पीने का शुद्ध पानी है। इस आंकड़े के लिए किसी ऐजेंसी की हवाला दिया गया था। पता, यह कितना सही है पर यह बात तो हम सब जानते हैं कि हमारे देश में धनी तबका घरों में पीने के पानी के लिए मशीनों का उपयोग करता है। आए दिन टीवी पर इस आशय का विज्ञापन देखा जा सकता है कि पीने के शुद्ध पानी के लिए फलां 'वॉटर एंड एयरफारप' का इस्टेमलान करें। बहुत से लोग यह बात बताने वाल सिनेमा के दृढ़ कलाकार से प्रभावित होकर 'पानी की पीने योग्य' बनाने वाली मशीन खरीद लाते हैं। सच कह तो शहरी लोगों में इसका अप्रभाव बहुत ज्यादा है। शहरी लोगों में घरों में ऐसी मशीन का होना एक निवारणी आवश्यकता बन गई है। जो इसे नहीं खरीद पाते वे दूषित पानी का शिकार हो जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में प्रतिवर्ष 5 वर्ष से कम आयु के तीन लाख से अधिक बच्चे डायरिया से मरते हैं और यह डायरिया दूषित पानी पीने से ही होता है। अखबार में दूषित पानी वाला यह समाचार पढ़कर मैं चूनावी की नहीं था। आए दिन इस आशय के समाचार देखने को मिल जाते हैं। इसमें कोई सद्दृष्टि नहीं कि पीने के पानी को लेकर जग-प्रकृता बढ़ी है। हर घर में 'नल से जल' जैसी योजनाओं का असर भी कुछ देखने को मिल रहा है पर नल के इस पानी की शुद्धता तो लेकर साल साल तरह रहते रहते हैं। मैं जिजासा और चिंता तो यह है कि हमारे देश में हम कब गर्व से कह सकेंगे कि गुरुलखाने के नल का पानी ही पीने के काम में भी आता है। आज यह सवाल इसलिए भी अधिक मुखर होकर सामने आ रहा है कि शुद्ध पानी जैसा मुद्दा हमारे राजनेताओं को चुनावी मुद्दा वर्षों नहीं लगता। हर घर में नल जैसी बात होती है पर उस शिद्धत के साथ नहीं जिसके साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि शुद्ध पानी का मुद्दा कभी उठा नहीं। उठता रहता है अक्सर, पर फिर उतनी ही तरीजे से भूला दिया जाता है। और जो चुनाव सामने आ रहे हैं उनमें हमारे नेताओं के मुंह से किन्तु बार शुद्ध पानी का उच्चारण हुआ है? 10 साल पहल गांगा नदी के पानी का शुद्ध नावाला वाला 'नमामि गंगे प्राजेष्वरं' चुनावी कर्त्ता का मुद्दा बना रहा था, पर इस आधी-अधीरी रह गई परियोजना की बात आज कोई नहीं कर रहा। कोई नहीं पूछ रहा कि करोड़ों की आस्था का प्रतीक बनी 'मां गंगा' का पानी आब तक शुद्ध वर्षों नहीं ही हो पाया। अथवा हमारे राजनेताओं ने इस महत्वपूर्ण परियोजना को चुनावी मुद्दा वर्षों नहीं बनाया? देश में अम चुनाव का माहौल लगातार गर्म रहा है। छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक



नए-नए चुनावी नारे गढ़ने में लगे हैं। दुर्भयग्य से न तो सतारुद्ध दल शुद्ध पानी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे की बात कर रहा है और न ही विपक्ष को पीने का पानी चुनावी फसल काटने का माध्यम नज़र आ रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में विकास के बड़े-बड़े दावे कि एज रहते हैं, मतदाता को लवे-शौड़े आँख़ों से भरभाने की कोशिश हो रही है। यह दावे कि तने सही हैं, इसकी वित्त कोई नहीं करता मजे की बात तो यह है कि अपसर हमारे नेता यह भूल जाते हैं कि ऐसी चुनावी सभा में उन्होंने विकास के दशा आंकड़े जनता को बताए थे। मान लिया गया है कि जनता की विदावशत बहुत कमज़ोर होती है। जनता भी इस बात की अधिक वित्त करती नजर नहीं आती कि हमारे नेता किस तरह उस टांगे के कोशिश में लगे रहते हैं। यह हमारी वित्त का विषय बनाना चाहिए। चुनावी सभा में हमारे नेता बड़े-बड़े दावे करते हैं, तीसरी या पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने व बनाने के दावे किए जाएं। ‘पांच ट्रिलियन’ की बात तो की जाती है पर यह कोई नहीं बताता कि इसका मतलब क्या है? इस अर्थव्यवस्था से क्या और कैसे परिवर्तन जनता के जीवन में आपाएँ, न कोई जनता है न कोई बताता है। विपक्ष नीति, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई की बात अवश्य कर रहा है पर विपक्ष के चुनावी गणित में ऐसा समस्याओं के लिए कोई जगह नहीं है। राजनेता बड़ी आनन्दी से ऐसे मुद्दों की अनेकों करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आज जरूरत है हमारे नेताओं से यह पूछने की कि जीवन के जरूरी मुद्दे चुनाव के लिए जरूरी क्यों नहीं माने जाते? पीने के शुद्ध पानी का मुद्दा वर्षों नहीं चुनावी मुद्दा बनता? दशकों तक सता में रहने वाले नेताओं से हम क्यों नहीं पूछते कि नल से जनता का

शुद्ध पानी वर्यो नहीं मिलता या मिल सकता? ऐसा ही एक मुद्दा शिक्षा का भी है। स्वतंत्र भारत में साक्षरता की प्रगति से कोई इनकार नहीं कर सकता, पर यह तो पूछा जा सकता है कि हम देश की भवी पीढ़ी को कौसी शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सक्रिय स्वयंसेवी संस्था 'असर' साल-दर-साल हमारी शिक्षा के घटिया स्तर को उजागर कर रही है। आश्वर्य की बात है कि सार्वी-आदर्वी तक की पढाई करने के बाद भी हमारे आश्री जोड़-बाकी गुण-भाग के सरल रूप लह नहीं कर पाते। पांचवीं में पढ़ने वाला बच्चा तीसरी की किताब सहजता से नहीं पढ़ पाता। शिक्षा की यह विश्विति चुनाव का मुद्दा वर्यो नहीं बनती, या वर्यो नहीं बननी चाहिए? आईआईएम और आईआईटी जैसे बड़े शिक्षा संस्थानों के बारे में द्युटे-सच्च आंकड़े तो हमारे नेता सहजता से अपने भाषणों में परोस देते हैं पर प्राथमिक शिक्षा की दुर्दशा की बात कोई नहीं करता। चुनावी बुखार शुरू हो चुका है। नये-नये नारे गढ़े जा रहे हैं। उल्टा-सीधा कुछ भी भी बोला जा रहा है। ऐसी गारंटी दी जा रही है जिनका कोई मतलब नहीं होता। अर्नर्गल आरोग्य की जरजरीत का यह जो दौर चल रहा है उससे मतदाता के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह नेतृत्व का दावा करने वालों से यह पूछे कि उसके नाम में शुद्ध पानी कब आएगा? उसकी प्राथमिकता में योग्य अध्ययन कब नियुक्त होगा? उसके बच्चे का रोजगार कैसे सुरक्षित होगा? महांगई से कब निजात मिलेगी उसे? यह और ऐसे सवाल हमारी चिंता का विषय कब बनेगे?

बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत

विकसित भारत का संकल्प

जयंतीलाल भंडारी

हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा मनिप्रियराध की बैठक की अध्यक्षता करते हुए 'विकसित भारत - 2047' के लिए दृष्टि पत्र और अगले पाच वर्षों के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना पर विचार-मन्थन किया गया। 'विकसित भारत' के लिए यह 'रोडमैप' दो साल से अधिक की गहन तैयारी का परिणाम है। इस रोडमैप को तैयार करने में देश के विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, शिक्षाविदों, उद्योग संगठनों, नागरिक समाज, संस्थाओं, वैज्ञानिक संगठनों के साथ व्यापक परामर्श के लिए आयोजित विभिन्न स्तरों पर करीब 2,700 से अधिक बैठकों, कार्यशालाओं और सेमिनारों के साथ युवाओं से प्राप्त सुझावों की अहम भूमिका रही है। विकसित भारत के लिए इस रोडमैप के लक्ष्यों में आर्थिक विकास, सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी), जीवन को आसान बनाना, व्यापार करने में आसानी, दुनियादी ढांचा और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। 29 फरवरी को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 की ओट्कूर से डिसंसर के तिमाही में देश का सकल घरेलू उत्पाद (एडीजीपी) 8.4 फीसदी की तेज दर से बढ़ा है। अब एनएसओ ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 7.6 फीसदी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि वित्त 10 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की शीर्ष पाच अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गई है। माना जा रहा था कि भारत 2026 में जपान को पीछे कर दुनिया की शीर्ष बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पिछले दिनों भारतीय अर्थव्यवस्था पर जारी विस्तृत रिपोर्ट 'द इंडियन इकोनॉमी ए रिप्पू' में कहा गया है कि वर्ष 2027 साल में ही भारतीय अर्थव्यवस्था पांच ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी और भारत आर्थिक आकार के लिहाज से अमेरिका व चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी



महेन्द्रनाथ भारत नए वैशिष्टक आपूर्तिकर्ता देश के रूप में उभरकर सामने आया है। दुनिया में मजबूत लोकतंत्र और स्थिर सरकार के रूप में भारत की पहचान, दुनिया की सबसे बड़ी युगा आवादी, देश में उत्पादन से जुड़े प्रोस्साहन, बड़े पैमाने पर पूँजीगत खर्च, गैर-जरूरी आयत में कटौती और अर्थव्यवस्था के बाहरी झटकों से उबरने की क्षमता देश के टिकाऊ विकास की युग्मियद बन सकती है। शेराव बाजार भी दुनिया में ऊँचांगों पर रेखांविहीन होते हो दिखाई दे रहा है। भारत द्वारा पिछले वर्ष 2023 में की गई जी-20 की सफल अन्यक्षता से भारत के लिए अब नए अर्थिक लाभों की धूखता शुरू हो गई है। इससे भारत से निर्यात, भारत में विदेशी निवेश, भारत में विदेशी पर्यटन और भारत के डिजिटल विकास का नया क्षितिज सामने आ रहा है। ज्ञातव्य है कि वैशिष्ट स्तर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट के रुझान के बीच भारत दुनिया के सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले 20 देशों की सूची में आठवें पायदान पर है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी मार्च, 2024 की शुरुआत में करीब 620 अरब डॉलर की ऊँचाई पर पहुँच गया है। निस्संदेह, देश को कई अर्थव्यवस्थाएँ दुनिया की विभिन्न देशों के लिए जारी पारा की जा रही हैं, जिसमें कहा गया है कि भारत में केंद्र और राज्यों का सामाज्य सरकारी कर्ज जीडीपी के 100 फीसदी के पार पहुँच सकता है। साथ ही भारत के अर्थिक रणनीतिकारों को वैशिष्ट अर्थिक प्रतिकल परिस्थितियों के मैदान जरूरतमंद रणनीति बनाने के लिए भी तैयार रहना होगा। विशेषज्ञ हो कि हमारे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय नई पीढ़ी को भविष्य की जरूरतों से सुरक्षित करने के गढ़ बने। छोटे और मध्यम उद्योगों, कृषि एवं हैंडीकॉर्प सेटर के लिए मार्केटिंग की नई रणनीति बनाई जाए। इससे रोजगार और निर्यात भी बढ़ेंगे। हम उम्मीद करें कि विकासित भारत के लक्ष्य के साथ आने वाली सरकार आर्थिक और वित्तीय सुधार, कृषि और श्रम सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य की गुणवत्ता के साथ-साथ मजबूत बुनियादी ढांचे की मजबूती पर भी ध्यान दे। ऐसे रणनीतिक कदमों से देश वर्ष 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और वर्ष 2047 तक दुनिया का विकासित राष्ट्र बनने की डगर पर तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकेगा।

नेशनल एक्सचेंज ऑफिसरीज़ी ।

न्यायपालिका की निष्पक्षता दांव पर

वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। न्यायाधीश एस अद्वृत नंजर को राज्यपाल बनाया गया है। राम मंदिर निर्माण का फैसला देने वाले सभी जज सेवा निवृति के बाद सरकार द्वारा तुरंत उत्तर किए गए हैं। अभी तक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की राजनीति और उनके फैसलों को लेकर दबे छपे प्रतिक्रिया आती रही है। इस तरह से अधिजीत गंगोपाथ्याम ने समय पूर्व सेवा निवृति लेकर भाजपा से लोकसभा का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। पिछले दो वर्षों में उन्होंने जो फैसला ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ हुए हैं वह विवाद में आ गये है। वया हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से निष्पक्ष न्याय मिलना संभव नहीं रहा। लालों से यह भी कहा जाता है कि कभी कोई व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रहता है। न्यायाधीश भी कहीं ना कहीं किसी विचारधारा या अस्थासे बंधा हुआ होता है। इसके बाद भी गुण दोष के आधार पर न्यायपालिका नियमों को ध्यान में रखते हुए निर्णय करती है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के प्रति लोगों की अस्था बनी हुई थी। अब जिस तरह के निर्णय न्यायपालिका में केंद्र सरकार और राज्य सरकार जहां भाजपा की सरकारे हैं। अथवा जिन राज्यों में विधायिका दलों की सरकारे हैं। वहाँ की हाईकोर्ट से भाजपा के पक्ष में जो फैसले आ रहे हैं। उसके बाद से न्यायपालिका की साथ को लेकर सारे देश में असमजंस का माहौल बनने लगा है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किस तरह का फैसला कीन सा जारी देगा। इसका अनुमान पहले ही लगा लिया जाता है। न्यायपालिका के ऊपर सरकार का भय, दबाव और विचारधारा को लेकर तरह-तरह की बातें हो रही हैं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मस्रर छोकर डायरस पर

